(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) and (b) Family Welfare Services in rural areas are provided through a network of Sub-Centres, Primary Health Centres (PHC) and Community Health Centres (CHC). There are 9725 Sub-centres, 1695 PHCs and 295 CHCs in Maharashtra.

(c) Eligible couples are motivated through IEC messages in the media and inter personal contact by the health workers. For undergoing sterilization, acceptors are also given Rs. 100/- as compensation for wages lost.

(d) and (e) From 1st April, 1996 the Family Welfare Programme in the entire country is being implemented on the basis of Target Free Approach.

**हरियाणा तथा पंजाब उच्च न्यायालय में लंबित मामले**

2979. श्री रामजीलाल: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) हरियाणा तथा पंजाब उच्च न्यायालय में 30 जून, 1996 तक लंबित पड़े मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) मामलों की संख्या अधिक होने के क्या कारण हैं तथा उनके शीघ्र निपटाने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार इन लंबित मामलों का शीघ्र निपटान करने की दृष्टि से उक्त उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने तथा उनके रिक्त पदों को भी भरने हेतु तत्काल कदम उठाने का विचार रखती है, और

(घ) यदि हां, तो कब तक?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप): (क) तारीख 30.6.96 को, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 1,64,344 मामले लंबित थे।

(ख) उच्च न्यायालय में मामले विभिन्न जटिल कारणों से लंबित हैं। न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या पर विचार करने और यथा संभव शीघ्र इन्हें निपटाने के तरीकों और उपायों का पता लगाने के लिए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों की एक बैठक दिसम्बर, 1993 में हुई थी। सम्मेलन ने न्यायालयों/अधिकरणों में मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए अपने द्वारा अंगीकृत एक संकल्प में अनेक उपायों की सिफारिशें की थीं, जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और सभी राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय भी हैं, से आवश्यक कार्रवाई के लिए सिफारिश की गई है।

(ग) और (घ) 29.8.96 को, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 37 स्थायी/अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या में से स्थायी/अतिरिक्त न्यायाधीशों के 4 पद रिक्त हैं। लंबित मामलों के निपटारे के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों के 3 और पदों का सृजन करने का भी विनिश्चय किया गया है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के सभी 7 पदों को भरने के लिए संबद्ध संवैधानिक प्राधिकारियों के बीच परामर्श की प्रक्रिया चल रही है। तथापि, यह बताना संभव नहीं है कि इन पदों को कब तक भरा जाएगा।

**Establishment of Medical stores Depot at Bhopal**

2980. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government propose to establish Medical Stores Depot at Bhopal in Madhya Pradesh, being centrally located place in the country; and

(b) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) and (b). There is no such proposal, at present, as the requirement of Madhya Pradesh are being catered to by the Medical Stores Depot at Bombay.

**आंध्र प्रदेश में धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन-स्थल**

2981. डा० वाई० लक्ष्मी प्रसाद: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश मे धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उपरोक्त भाग (क) में वर्णित कितने पर्यटन-स्थलों का विकास किया गया है; और

(ङ) इनमें से कितने पर्यटन-स्थल रेल-मार्ग या सड़क-मार्ग से जुड़े हैं तथा कितने सड़क और रेल, दोनों मार्गों से जुड़े हैं और वहां उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?